रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 213] नई दिल्ली, शुक्रवार, 5 जून, 1970/ज्येष्ठ 15, 1892
No. 213] NEW DELHI FRIDAY, JUNE 5, 1970/JYAISTHA 15, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

ORDERS

New Delhi, the 2nd June 1970

S.O. 2071—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all their language versions to be of the description specified against each in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1.	I.N.R. No. 1126(B) Special	161·23 M	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events.
2.	I.N.R. No. 1127	162·76 M	Do.		Do.
3.	I.N.R. No. 1128	158·71 M	Do.		Do.

1	2	3	4	5	6
4.	Naga Crafts	291·08 M	Khadi & Village Industries Commission, Irla Road, Vile Parle, Bombay-56.		Film intended fo educational purpose

[No. F. 28/1/70-FP App. 1461]

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 2 जून 1970

एस० ओ० 2071—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्मों को उनके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिनका विवरण प्रत्येक के सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है ।

अनुसूची

क्र० संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मि०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1126 (बी) (विशेष)	161.23 मीटर	फिल्मज प्रभाग, भारत सरकार, 24-पेडर रोड बम्बई-26		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म
2.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1127	162.76 मीटर	तथैव		तथैव
3.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1128	158.71 मीटर	तथैव		तथैव
4.	नागा क्रेफ्टस्	291.08 मीटर	खादी एण्ड विलेज इन्डस्ट्रीज कमीशन इला रोड, विले पार्ले, बम्बई-56		शिक्षा सम्बन्धी फिल्म

[सं० फा० 28/1/70—एफ० पी०—परिशिष्ट 1461]

S. O. 2072.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966, the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description specified against it in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentay film
1	2	3	4	5	6
1.	I.N.R. No. 1127 (Eastern Edition).	201·16 M	Films Division, Government of India, 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events. (For release in Eastern States *i.e.* Assam, Bihar, Nagaland, Orissa, West Bengal, Manipur, NEFA & Tripura.)

[No. F 28/1/70-FP App. 1462]

एस० ओ० 2072.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस०ओ० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि०मि०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है, या डाकुमेंट्री फिल्म है ।
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1127 (पूर्वी संस्करण)	201.16 मीटर	फिल्म्ज प्रभाग भारत सरकार, 24-पेडर रोड, बम्बई-26		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है (केवल पूर्वी प्रदेशों) असम, बिहार, नागालैंड, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल, मनीपुर, नेफा, और त्रिपुरा में प्रदर्शित करने के लिये ।

[सं० फा० 28/1/70—एफ० पी०—परिशिष्ट 1462]

S.O.2073.—In pursuance of the directions issued under the provision of each of the enactments specified in the First Schedule to the order of the Government of India in the Ministry of Information and Broadcasting No. S.O. 3792 dated the 2nd December, 1966 the Central Government after considering the recommendations of the Film Advisory Board, Bombay hereby approves the films specified in column 2 of the Schedule annexed hereto in all its language versions to be of the description specified against it in column 6 of the said Schedule.

SCHEDULE

Sl. No.	Title of the film	Length 35 mm	Name of the Applicant	Name of the Producer	Whether a Scientific film or a film intended for educational purposes or a film dealing with news and current events or a documentary film
1	2	3	4	5	6
1	I.N.R. No. 1128 (Southern Edition).	236·31 M	Films Division, Government of India 24-Peddar Road, Bombay-26.		Film dealing with news and current events (for release in Southern States *viz.* Andhra Pradesh Kerala, Mysore & Tamil Nadu).

[No. F. 28/1/70-FP App. 1463]
K. K. KHAN, Under Secy.

एस० ओ० 2073.—भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश संख्या एस० ओ० 3792, दिनांक 2 दिसम्बर, 1966 की प्रथम अनुसूची में निर्धारित प्रत्येक अधिनियमनों के उपबन्ध के अन्तर्गत जारी किए गए निदेशों के अनुसार, केन्द्रीय सरकार, फिल्म सलाहकार बोर्ड, बम्बई की सिफारिशों पर विचार करने के बाद, एतद्द्वारा, इसके साथ लगी अनुसूची के कालम 2 में दी गई फिल्म को उसके सभी भारतीय भाषाओं के रूपान्तरों सहित, जिसका विवरण उसके सामने उक्त सूची के कालम 6 में दिया हुआ है, स्वीकृत करती है ।

अनुसूची

क्रम संख्या	फिल्म का नाम	लम्बाई 35 मि० मि०	आवेदक का नाम	निर्माता का नाम	क्या वैज्ञानिक फिल्म है या शिक्षा सम्बन्धी फिल्म है, या समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म है या डाकुमेंट्री फिल्म है
1	2	3	4	5	6
1.	भारतीय समाचार समीक्षा संख्या 1128 (क्षिणी संस्करण)	236.31 मीटर	फिल्म्ज प्रभाग, भारत सरकार, 24-पेडर रोड, बम्बई—26		समाचार और सामयिक घटनाओं की फिल्म (केवल दक्षिणी प्रान्तों) आन्ध्र प्रदेश, केरल, मैसूर और तामिल नाडु में प्रदर्शित करने के लिये ।

[सं० फा० 28/1/70—एफ० पी० परिशिष्ट 1463]
क० क० खान, अवर सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970

रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 214] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 5, 1970/ज्येष्ठ 15, 1892
No. 214] NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 5, 1970/JYAISTHA 15, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF INDUSTRIAL DEVELOPMENT, INTERNAL TRADE AND COMPANY AFFAIRS

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 5th June 1970

S.O. 2074.—Whereas by Resolution No. 5(17)/70-AEI(I) dated the 27th May, 1970, of the Government of India in the Ministry of Industrial Development, Internal Trade and Company Affairs (Department of Industrial Development), a Commission has been constituted for the purpose of recommending fair selling prices for the three passenger cars, namely, Ambassador, Fiat and Standard, as per the recommendations made by the Hon'ble Supreme Court;

And whereas the Central Government is of opinion that all the provisions of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952) should be made applicable to the said Commission;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 11 of the said Act, the Central Government hereby directs that all the provisions of the said Act shall apply to the said Commission.

[No. F. 5(17)/70-AEInd(I).]

B. D. PANDE, Secy.

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 5, जून 1970

का० आ० 2074.—यतः भारत सरकार के औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार और कम्पनी कार्य मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के संकल्प संख्या 5(17)/70-ए ई आई (I) तारीख 27 मई, 1970 द्वारा तीन यात्री कारों अर्थात्, एम्बेसेडर, फिएट और स्टेन्डर्ड के लिए उचित विक्रय कीमतों की सिफारिश करने के प्रयोजन के लिए एक आयोग माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार गठित किया गया है ;

और यतः केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) के सभी उपबन्ध उक्त आयोग को लागू किए जाने चाहिए ;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 11 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम के सभी उपबन्ध उक्त आयोग को लागू होंगे ।

[सं० फा० 5(17)/70-ए ई आई एन डी (I)]

भैरव दत्त पाण्डे, सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1970